

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 34 / 19-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1. मनुएल तोपनो वो 2. जेम्स तोपनो
सरिता भेंगरा

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर											
01.02.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक 1. मनुएल तोपनो पिता स्व0 अलफोंस तोपनो वो 2. जेम्स तोपनो पिता स्व0 अलफोंस तोपनो दोनों ग्राम-कुल्डा, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने सरिता भेंगरा पिता स्व0 एतवा भेंगरा ग्राम-डोडमा, पोस्ट-डोडमा, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="271 739 1356 884"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कुल्डा</td> <td>64</td> <td>114</td> <td>883</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 2141361 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 824 दिनांक 11.09.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम दानिएल पहान वगैराह है। पंजी II के अनुसार दानिएल पहान वगैराह के नाम भूमि का रकबा 138.90 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 5.87 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010-11 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 6762.00(छः हजार सात सौ बारसठ) रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकबा 5.67 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>अंचल अधिकारी, तोरपा का पत्रांक 47 दिनांक 16.01.20 से जांच प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान में सुश्री सरिता भेंगरा अविवाहित है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूर्ईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. मनुएल तोपनो पिता स्व0 अलफोंस तोपनो वो 2. जेम्स तोपनो पिता स्व0 अलफोंस तोपनो को सरिता भेंगरा पिता स्व0 एतवा भेंगरा के साथ ग्राम कुल्डा के खाता सं0 114 खेसरा संख्या 883 कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 6762.00(छः हजार सात सौ बारसठ) रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">3/02/20</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">3/02/20 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)	कुल्डा	64	114	883	0.20	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)								
कुल्डा	64	114	883	0.20								